**भारत सरकार**

**शहरी विकास मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं0** **2219**

**12 मई, 2016 को उत्तर के लिए**

MhñMhñ,ñ vkokl ;kstuk] 1981 gsrq fuèkZfjr 'krs±

2219- Jh fo'kEHkj izlkn fu"kkn%

Jherh dud yrk flag%

D;k 'kgjh fodkl ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k fnYyh fodkl izkfèkdj.k dh vkoklh; ;kstuk] 1981 ds lQy vkoafVfr;ksa dks Hkw[kaM nsus gsrq ubZ 'krs± tksM+h xbZ gSa ftlls vkoafVfr;ksa dks IykWV feyus esa fnDdrsa vk jgh gSa(

¼[k½ D;k ,sls vkoafVfr;ksa dks IykWV@edku jí djus dk uksfVl Hkstk x;k gS( vkSj

¼x½ D;k vkoklh; ;kstuk] 2014 ds mu ,yvkbZth edkuksa esa Qsjcny fd;k x;k gS ftUgsa NksVk gksus ds dkj.k vkoafVfr;ksa }kjk ykSVk fn;k x;k Fkk rkfd iqu% vU; ;kstuk esa Mkyus ds ckn vkoafVfr;ksa }kjk mUgsa fQj ls ykSVk;k u tk, vkSj rRlacaèkh C;kSjk D;k gS\

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): दिल्‍ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) ने सूचित किया है कि दिल्‍ली विकास प्राधिकरण ने (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियम, 1981 के नियम 17 के अनुसार वर्ष 2014 में पात्रता मानदंडों को संशोधित किया गया है जिसमें यह व्‍यवस्‍था है कि नजूल भूमि के आबंटन की तारीख को ऐसे व्‍यक्ति के स्‍वामित्‍व में अथवा आबंटित भूमि 67 वर्ग मीटर से कम है अथवा ऐसे व्‍यक्ति के स्‍वामित्‍व में आवास जो 67 वर्ग मीटर से कम के भू-खंड पर है, अथवा 67 वर्ग मीटर से कम के क्षेत्रफल की किसी ऐसी अन्‍य भूमि अथवा आवास में ऐसे व्‍यक्ति का भाग हो, उसको छोड़कर किसी व्‍यक्ति को आवासीय प्रयोजन के लिए कोई नजूल भूमि आबंटित नहीं की जाएगी।

(ख): दि.वि.प्रा. ने यह सूचित किया है कि उन आबंटियों को नोटिस/पत्र जारी किए गए हैं, जिनके पास दिल्‍ली, नई दिल्‍ली अथवा दिल्‍ली कैंट में कोई अन्‍य भूमि अथवा आवास है। तथापि, यदि ऐसी भूमि अथवा आवास का क्षेत्रफल 67 वर्ग मीटर से कम है तो आवेदक रोहिणी आवासीय स्‍कीम, 1981 के अंतर्गत प्‍लॉट के आबंटन के लिए हकदार होगा।

(ग): दि.वि.प्रा. ने सूचित किया है कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्‍ताव नहीं है।

\*\*\*\*\*\*\*\*